<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

खेमसिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 68/2022</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>27-04-2022</td><td>अपीलार्थी खेमसिंह जोधा, पता ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 07.02.2022 में (1) उप जिलाधीश महोदय जोधपुर की अध्यक्षता में भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैइके दिनांक 01.01.1971 से 28.04.1971 तक के कार्यवाही रजिस्टर की नियमानुसार प्रमाणित छाया प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।
अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 363 दिनांक 29.03.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर से सबंधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर) को कार्यालय के पत्रांक 185 दिनांक 28.02.2022 द्वारा अंतरित किया गया तथा प्रार्थी को भी पत्र पृष्ठांकित किया गया।
चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर कार्यालय से संबंधित होने से उनको विधिक प्रकिया के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर) से रिपोर्ट चाही गई, परन्तु आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अथवा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:38:19 IST
Reason: Self Attested